<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>11.11.2024</u>

अपराध की आय को सही दावेदारों तक पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीड़ित और सही दावेदार को 12.73 करोड़ रुपये की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिलाई है।

ईडी ने केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी), चेन्नई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर अवैध जमीन हड़पने की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।

ईडी की जांच में पता चला कि जमीन हड़पने वालों के एक समूह ने चेन्नई के सैदापेट तालुक में स्थित जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया था। इन जमीन हड़पने वालों ने बाद में दस्तावेजों में जालसाजी करके और स्वामित्व का झूठा दावा करके संपत्ति को तीसरे पक्ष को बेच दिया।

इन निष्कर्षों के परिणामस्वरूप, ईडी ने 21.03.2017 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसमें 11.40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई, जिसकी पुष्टि बाद में न्यायनिर्णन प्राधिकारी द्वारा की गई। इसके अलावा, चेन्नई के माननीय प्रधान सत्र न्यायाधीश न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई और उसका संज्ञान लिया गया।

संपत्ति का वर्तमान मूल्य 12.73 करोड़ रुपये है, और सही दावेदार और पीड़ित को इसकी वापसी ईडी के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपराध की आय प्रभावित लोगों को वापस मिल सके। ईडी वित्तीय अपराधों से निपटने और ऐसे अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कायम रखता है।